इस्लाम से निष्कासित करने वाली बातें

लेखक:

अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुल्ला बिन बाज़

शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, जो बड़ा दयालु एवं अत्यंत कृपावान है।

सारी प्रशंसा अल्लाह ही के लिए है, तथा दरूद एवं सलाम हो अंतिम नबी, उनकी औलाद, साथियों एवं अनुसरणकारियों पर। तत्पश्चात: मेरे सम्मानित मुसलमान भाइयो! याद रखें कि अल्लाह ने अपने सारे बंदों पर इस्लाम में प्रवेश करने, उसे मज़बूती से पकड़े रहने और उसके विरुद्ध बातों से सावधान रहने को अनिवार्य किया है। तथा इसकी ओर बुलाने के लिए अपने नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को भेजा है। साथ ही उसने बता दिया है कि नबी का अनुसरण करने वाला सुपथगामी है और उससे मुँह फेरने वाला पथभ्रष्ट है। उसने क़ुरआन की बहुत-सी आयतों में इस्लाम से फेर देने वाली चीज़ों एवं सभी प्रकार के शिर्क तथा कुफ़्र से सावधान किया है। उलामा ने इस्लाम से फिरने वाले व्यक्ति से संबंधित बात करते हुए बताया है कि अनेक प्रकार की इस्लाम से निष्कासित करने वाली चीज़ों के कारण एक मुसलमान इस्लाम से फिर जाता है। यह सारी चीज़ें उसके ख़ून एवं धन को हलाल कर देती हैं और इनके कारण इन्सान इस्लाम के दायरे से बाहर हो जाता है। इस प्रकार की सबसे खतरनाक एवं अधिकतर घटित होने वाली बातें दस हैं, जिन्हें शैख़ मुहम्मद बिन अब्दुल वह्हाब एवं दूसरे सभी उलामा ने बयान किया है,उनपर अल्लाह की दया हो। हम आपके सामने इन बातों को संक्षिप्त रूप में रखने, फिर उसके बाद उनका कुछ विश्लेषण पेश करने जा रहे हैं, ताकि आप इनसे खुद सावधान रहें और दूसरों को भी सावधान रहने को कहें। हम अल्लाह से इन से सुरक्षित एवं बचाए रखने की आशा करते हैं। पहला: इस्लाम से निष्कासित करने वाली दस बातों में से पहली बात है: उच्च एवं महान

अल्लाह की इबादत में किसी को साझी बनाना। महान अल्लाह ने फ़रमाया है: "निःसंदेह अल्लाह ये नहीं क्षमा करेगा कि उसका साझी बनाया जाए और उसके सिवा जिसे चाहे, क्षमा कर देगा।" और एक स्थान में कहा है: "नि:संदेह जो अल्लाह के साथ शिर्क करता है अल्लाह ने उस पर जन्नत हराम कर दी है, उसका ठिकाना जहन्नम है और अत्याचारों का कोई सहायक नहीं होगा।" अल्लाह की इबादत में किसी को साझी ठहराने के अंतर्गत ही मरे हुए लोगों को पुकारना, उनसे फ़रियाद करना, उनके लिए मन्नत मानना और जानवर ज़बह करना आदि भी आते हैं, जैसे कोई किसी जिन्न अथवा क़ब्र के लिए जानवर ज़बह करे। दूसरा: अपने तथा अल्लाह के बीच बहुत-से माध्यम बनाकर उन्हें पुकारना, उनसे सिफ़ारिश तलब करना और उनपर भरोसा करना भी कुफ़्र है, इस बात पर सभी उलामा एकमत हैं। तीसरा: मुश्रिकों को काफ़िर न कहने वाला,अथवा उनके कुफ़्र में शक करने वाला अथवा उनके धर्म को उचित ठहराने वाला भी काफ़िर है। चौथा: जो यह विश्वास रखे कि किसी और का तरीक़ा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के तरीक़े से अधिक संपूर्ण और किसी और का आदेश आपके आदेश से अधिक उत्तम है। जैसा कि जो लोग तवाग़ीत (अल्लाह के अतिरिक्त) के आदेश को आपके आदेश पर प्राथमिकता देते हैं, तो वह काफ़िर है। पाँचवाँ: जिसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की लाई हुई किसी वस्तु से नफ़रत किया, चाहे वह उसपर अमल ही क्यों न करता हो, तो वह काफ़िर हो गया। क्योंकि महान अल्लाह ने कहा है: "यह इसलिए कि उन्होंने अल्लाह के उतारे हुए विधान को बुरा माना तो उसने (अर्थात अल्लाह ने) उनके कर्म व्यर्थ कर दिए।" छठा: जिसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के लाए हुए

धर्म की किसी वस्तु या उसके प्रतिफल तथा दंड के साथ उपहास किया, तो वह काफ़िर हो गया। इसका प्रमाण, महान अल्लाह का यह फ़रमान है: "आप कह दें कि क्या तुम लोग अल्लाह, उसकी आयतों और उसके रसूल के ही साथ उपहास कर रहे थे? बहाने न बनाओ, तुमने अपने ईमान के पश्चात् कुफ़्र किया है।" सातवाँ: जादू करना। इसके अंतर्गत पति को पत्नी से दूर करना तथा किसी स्त्री पर मोहित कर देना भी आता है। जादू करने वाला और उसपर संतुष्टि व्यक्त करने वाला, दोनों काफ़िर हो जाते हैं। इसका प्रमाण, महान अल्लाह का यह फ़रमान है: "जबकि वे दोनों किसी को जादू नहीं सिखाते, जब तक यह न कह देते कि हम केवल एक परीक्षा हैं, अतः, तू कुफ़्र में न पड़।" आठवाँ: मुसलमानों के विरुद्ध मुश्रिकों (बहुदेववादियों) का साथ देना और उनकी मदद करना। इसका प्रमाण, उच्च एवं महान अल्लाह का यह फ़रमान है: "और तुम में से जो व्यक्ति उन्हें मित्र बनाएगा, वह उन्हीं में से होगा तथा अल्लाह अत्याचारियों को सीधी राह नहीं दिखाता है।" एक अन्य स्थान में उसका फ़रमान है: "फिर यदि वे आपकी बात न सुनें, तो आप जान लें कि वे मनमानी कर रहे हैं और उससे अधिक कुपथ कौन है, जो मनमानी करे, अल्लाह की ओर से बिना किसी मार्गदर्शन के? वास्तव में, अल्लाह अत्याचारी लोगों को सुपथ नहीं दिखाता है।" नवाँ: जिसने यह विश्वास रखा कि कुछ लोगों को मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की शरीयत से बाहर जाने की अनुमति है, जैसे कि खजिर के लिए मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत से बाहर जाने की अनुमति थी, वह काफ़िर है। क्योंकि अल्लाह तआला ने फ़रमाया है: "जो व्यक्ति इस्लाम के अतिरिक्त अन्य धर्म ढूँढे उसका धर्म कदापि स्वीकार नहीं किया जाएगा और वह आख़िरत में क्षति उठाने वालों में से होगा।" दसवाँ:

अल्लाह के धर्म इस्लाम से इस तरह बेरुखी दिखाना कि न उसे सीखे और न उस पर अमल करे। इसका प्रमाण, महान अल्लाह का यह फ़रमान है: "और उससे अधिक अत्याचारी कौन होगा, जिसके सामने अल्लाह की निशानियों का बयान हो, फिर वह उनसे विमुख हो जाए? वास्तव में, हम अपराधियों से बदला लेने वाले हैं।" इस्लाम से निष्कासित करने वाले इन कामों को इन्सान मज़ाक से करे, गंभीरता से करे अथवा भय से, इससे कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता है। हाँ, यदि मजबूर होकर करे, तो बात और है। यह दस बातें ऐसी हैं जो बहुत ख़तरनाक और अधिक घटित होने वाली हैं। अतः एक मुसलमान को इनसे सावधान रहना चाहिए और अपने दिल में इनका भय रखना चाहिए। हम अल्लाह की शरण माँगते हैं उसके क्रोध को अनिवार्य करने वाली चीज़ों तथा उसकी कष्टदायी यातना से। दरूद एवं सलाम हो अल्लाह की सबसे उत्कृष्ट सृष्टि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर, एवं आपकी औलाद तथा आपके साथियों पर।

लेखक (मुहम्मद बिन अब्दुल वह्हाब) की बात समाप्त हुई।

इस्लाम से निष्कासित करने वाली चौथी बात के अंतर्गत यह बातें भी शामिल है; कि यदि कोई यह विश्वास रखे कि लोगों की बनाई हुई व्यवस्थाएँ एवं संविधान इस्लाम की दी हुई शरीयत से उत्तम हैं, या उसके समान हैं, या उनके अनुसार निर्णय लेना जायज़ है यद्यपि वह साथ साथ यह विश्वास भी रखे कि शरीयत के अनुसार फ़ैसला करना उत्तम है, या यह माने कि इस्लाम द्वारा प्रदान की गई व्यवस्था बीसवीं सदी में लागू किए जाने के लायक़ नहीं है, या यह मुसलमानों के पिछड़ेपन का कारण है, या यह किसी व्यक्ति के अपने रब के

साथ संबंध तक ही सीमित है, जीवन के अन्य क्षेत्रों से इसका कोई लेना-देना नहीं है, तो एसा व्यकित काफिर होत जाता है। इस्लाम से निष्कासित करने वाली चौथी बात के अंतर्गत यह दृष्टिकोण भी आता है कि चोर का हाथ काटने तथा विवाहित व्यभिचारी को संगसार करने से संबंधित अल्लाह के आदेश को लागू करना आज के दौर में उचित नहीं है। इसके अंतर्गत यह विश्वास रखना भी आता है कि मामलात एवं दंड संहिता आदि में अल्लाह की शरीयत से हटकर निर्णय लेना भी जायज़ है। यद्यपि यह विश्वास न रखे कि शरीयत विरुद्ध कानून शरियत से उत्तम है। क्योंकि ऐसा करने वाले ने अल्लाह की हराम की हुई वस्तु को हलाल मान लिया।इसपर उलमा सर्वसम्मति हैं। और जिसने अल्लाह की हराम की हुई ऐसी चीज़ों को हलाल मान लिया , जिनका हराम होना सारे मुसलमानों के लिए स्पष्ट हो, जैसे व्यभिचार, शराब एवं सूद और अल्लाह की शरीयत को छोड़ किसी और विधान से निर्णय करना, तो सारे मुसलमान एक मत हैं कि ऐसा व्यक्ति काफ़िर है। दुआ है कि अल्लाह हमें उस काम का सुयोग प्रदान करे जो उसे पसंद हो और हमें तथा सारे मुसलमानों को अपनी सीधी राह दिखाए। निश्चय ही वह सुनने वाला और निकट है। अल्लाह की दया और शांति की जलधारा बरसे हमारे नबी मुहम्मद तथा आपकी औलाद और सभी साथियों पर।